बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 164

समझदारी से हो उपयोग

केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजहों में से एक अब इतिहास हो चुकी है। आरबीआई ने अपने पूर्व गवर्नर विमल जालान की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की उन अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है जो उसने आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा करते हुए की थीं। आरबीआई के बोर्ड ने 1.76 लाख करोड़ रुपये की राशि सरकार को देने का निर्णय लिया है। इसमें वर्ष 2018-19 में हासिल 1.23 लाख करोड़ रुपये की अधिशेष आय और 52,637 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं जो जालान समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप चिह्नित किए गए। चूंकि केंद्रीय बैंक ने 28,000 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश दे दिया है और सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 90,000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की है। अतिरिक्त हस्तांतरण करीब 58,000 करोड़ रुपये का होगा।

समिति ने जोखिम के प्रावधान और अधिशेष वितरण के लिए नए नियम तैयार किए हैं। वास्तविक इक्विटी और पुनर्मूल्यांकन बैलेंस के बीच में स्पष्ट भेद करना होगा। समिति ने यह भी कहा है कि पुनर्मूल्यांकन बैलेंस में किसी भी तरह की कमी होने पर उसकी भरपाई शुद्ध आय के प्रावधान से की जा सकेगी लेकिन पुनर्मूल्यांकन की आरक्षित राशि का उपयोग अन्य जोखिमों के प्रावधान के लिए नहीं किया जा सकेगा। अधिशेष वितरण के संबंध में समिति ने यह अनुशंसा की है कि प्राप्त इक्विटी को रखा जाए। यह परिचालन और ऋण के जोखिम की भरपाई के लिए जरूरी है। खासकर केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट के 6.5 फीसदी और 5.5 फीसदी के दायरे में। आरबीआई की बैलेंस शीट में वास्तविक इक्विटी 6.8 फीसदी है।

आरबीआई ने न केवल वास्तविक इक्विटी के चयनित स्तर के मामले में बल्कि एक वर्ष में समूची अधिशेष पूंजी स्थानांतरित कर बड़ा कदम उठाया है। कहा जा सकता है कि चूंकि सरकार ने आरबीआई से केवल 90,000 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने की बात कही थी इसलिए इसे बड़े लाभांश भुगतान से निपटाया जा सकता था और समूची अधिशेष पूंजी को एकबारगी स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे में अगर थोड़ा सतर्कता से कदम उठाया जाता तो बेहतर होता।

अब जबकि केंद्रीय बैंक ने वित्त मंत्रालय को प्रसन्न करने वाला यह कदम उठा ही लिया है तो सरकार को क्या करना चाहिए? आखिरकार उसके पास 58,000 करोड़ रुपये की बिना बजट की पूंजी उपलब्ध है। इस वर्ष राजस्व में अनुमानित कमी को देखते हुए बिना बजट की इस प्राप्ति का इस्तेमाल उस कमी की भरपाई करने में कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर सरकार केंद्रीय बैंक से बजट के अतिरिक्त प्राप्तियां होने के बावजूद राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती है तो इससे बाजार के रुझान पर बुरा असर होगा। सवाल यह है क्या राजस्व की कमी पूरी होने के बाद क्या? प्राथमिकता तो यही होनी चाहिए कि एकबारगी मिली इस बोनस धनराशि के चलते अधिक ईमानदारी से लेखा परीक्षा होनी चाहिए और बैलेंस शीट से इतर की उधारी को समाप्त या कम किया जाना चाहिए ताकि सरकारी व्यय लक्ष्य हासिल हो सके। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की हालिया रिपोर्ट को देखें तो ऐसी उधारी काफी है। इस अतिरिक्त धनराशि की सहायता से राजकोषीय गति प्रदान करने के लिए काफी शोरगुल किया जाएगा। परंतु सरकार का ध्यान एकबारगी बोनस के समझदारी भरे इस्तेमाल पर होना चाहिए। कुल मिलाकर मौजूदा हालात में आरबीआई का अतिरिक्त हस्तांतरण सरकारी वित्त पर कोई अहम प्रभाव नहीं छोड़ेगा। ऐसे में बेहतर है कि वस्तु एवं सेवा कर के मुद्दों को हल किया जाए ताकि राजस्व में इजाफा हो। साथ ही वृद्धि को गति देने के लिए नियामकीय सुधारों पर जोर देना चाहिए।

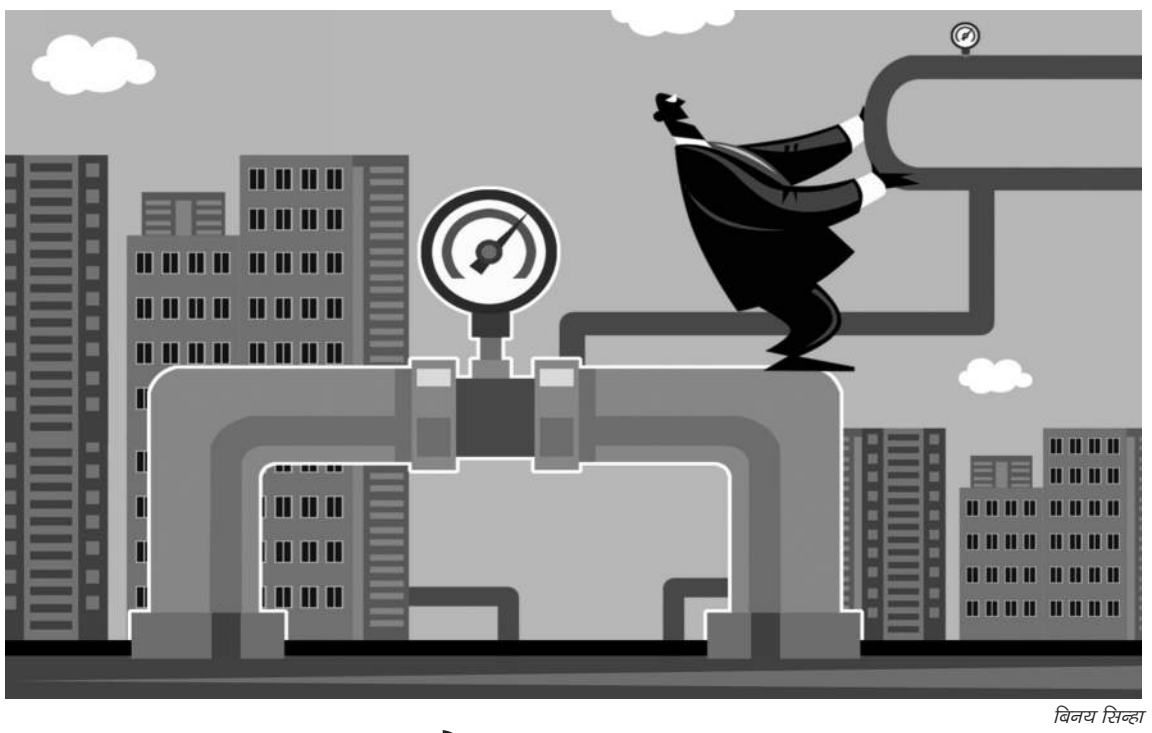

विनय सिन्हा

शहरों में गैस का वितरण अब पकड़ेगा रफ्तार?

शहरी गैस वितरण अभियान के अब जोर पकड़ने की संभावना है। इसका अर्थव्यवस्था के साथ ही लोगों के जीवन पर भी दूरगामी असर पड़ेगा।

बता रहे हैं **विनायक चटर्जी**

वर्ष 2011 में शुरू हुई भारतनेट परियोजना का मकसद देश की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए नैशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का था। इसी तरह सौभाग्य परियोजना सभी घरों तक बिजली कनेक्शन पहुंचाने के लिए शुरू की गई। वर्ष 2019 के मध्य में घोषित 'नल से जल' अभियान का मकसद वर्ष 2024 तक देश के सभी घरों तक पानी पहुंचाने का है।

इसी तरह का असर रखने वाला शहरी गैस वितरण (सीजीडी) अभियान ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में तेजी से विकसित हो रहे सुविधा आपूर्ति नेटवर्किंग ढांचे का अंग बनने जा रहा है। नेटवर्किंग के ये ढांचे करोड़ों भारतीयों की जिंदगी बदलने में मददगार साबित हुए हैं।

सीजीडी बीते दशक में ढांचागत क्षेत्र की वह शानदार परियोजना है जो अपेक्षित ढंग से आगे नहीं बढ़ पाई। चाहे मकानों तक पाइप से गैस पहुंचाने या संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) भरने के स्टेशन खोलने का मामला हो, ये सुविधाएं कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित रह गईं। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी यह पहल कोई निर्णायक असर नहीं छोड़ पाई। सीजीडी को हमेशा ही तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) वितरण की तुलना में कमतर भूमिका निभानी पड़ी है। राजनीतिक लाभ को देखते हुए सरकार ने सब्सिडी वाले एलपीजी सिलिंडरों को आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक पहुंचाने के लिए 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' शुरू की थी।

लेकिन सीएनजी के इस्तेमाल को देखते हुए सीजीडी अभियान के अब रफ्तार पकड़ने की संभावना है। कई वर्षों तक लचर रफ्तार से आगे बढ़ने के बाद गैस वितरण के भौगोलिक क्षेत्रों में बोली लगाने के आखिरी दो चरणों में बाजार से बेहतर प्रतिक्रिया देखने को मिली है। यह सीएनजी की नीलामी के तरीके के हिसाब से गैस वितरण की नीलामी में बदलाव किए जाने का असर है। इस साल फरवरी तक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने देश भर के 228 भौगोलिक क्षेत्रों के लिए निविदा जारी की थी जो करीब 70 फीसदी आबादी को लाभान्वित करेगा।

विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में निविदा हासिल करने वालों की समग्र प्रतिबद्धता बहुत कुछ कहती है। ठेकेदारों ने अप्रैल 2020 से शुरू होकर 2029 तक हर साल 20 लाख से अधिक पाइप गैस कनेक्शन देने का वादा किया है। इस अवधि में देश भर में 3,500 सीएनजी स्टेशन खोलने और 58,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की भी बात कही गई है। इसका मकसद यह है कि कुल ऊर्जा उपभोग में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को छह फीसदी से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 15 फीसदी पर लाना है। वैश्विक स्तर पर यह अनुपात 24 फीसदी है। भारत अपनी गैस जरूरतों का करीब 45 फीसदी आयात करता है और सीडीजी परियोजना को इस आपूर्ति पर पहला दावा दिया गया है।

हालांकि इसके लिए लंबा सफर तय करना पड़ा है। वर्ष 2007 में गठन के बाद से ही पीएनजीआरबी को गैस क्षेत्र के कई हितधारकों से कानूनी लड़ाई में उलझना पड़ा था। फिर गैस वितरण के भौगोलिक क्षेत्रों में बोली से जुड़ी समस्याएं उठ खड़ी हुईं। बोली प्रक्रिया के पहले दो चरणों में निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया काफी ठंडी रही। फिर चौथे से छठे दौर की बोलियों में काफी आक्रामक बोलियां देखी गईं। बोलीकर्ताओं ने असंगत रूप से कम शुल्क वाली बोलियां लगानी शुरू कर दी थीं। इसका नतीजा आखिर में अनुबंध शर्तों में सुधार की मांग और फिर कानूनी पचड़ों में उलझने के ही रूप में सामने आता है जिससे एनपीए का भी जन्म होता है। ऐसा दौर भी आया जब पीएनजीआरबी के बोर्ड में कई स्थान लंबे समय तक खाली पड़े रहे जिसने गैस वितरण में विस्तार को रोके रखा।

इस बोर्ड का पुनर्गठन होने के बाद पीएनजीआरबी ने सही ढंग से काम करना शुरू किया। नए मानदंडों के तहत अव्यवहार्य बोलियों को हतोत्साहित करने के लिए एक न्यूनतम शुल्क तय किया गया और बोलियों का आकलन बड़े पैमाने पर ढांचा खड़ा कर पाने के वादे के आधार पर करने का फैसला किया गया। इन बंदिशों ने बैंक गारंटी दी जाने वाली राशि पर भी सीमा लगाई। पहले कंपनियां ठेका पाने के लिए ऊंची बैंक गारंटी वाली बोलियां पेश करती थीं और उनका बोली की वास्तविक गुणवत्ता से कोई तारतम्य नहीं होता था। इस सौदे को आकर्षक बनाने के लिए पीएनजीआरबी ने भी संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में ठेका पाने वाली कंपनियों की विशिष्ट वितरण अवधि को पांच वर्ष से बढ़ाकर आठ वर्ष कर दिया।

इस लिहाज से वर्ष 2018 का साल कई मायनों में एक उल्लेखनीय साल रहा। मई 2018 में सीजीडी अभियान के तहत लाइसेंस वितरण का सबसे बड़ा दौर संचालित हुआ था जिसमें 86 भौगोलिक क्षेत्रों में आने वाले 174 जिलों के लिए लाइसेंस जारी किए गए। नौवें चरण की इस निविदा में घरेलू कंपनियों के साथ-साथ विदेशी कंपनियों ने भी रुचि दिखाई। इस चरण में 86 क्षेत्रों के लिए 400 से अधिक बोलियां लगाई गई थीं। इसके बाद 22 नवंबर, 2018 को 65 भौगोलिक क्षेत्रों के 129 जिलों में शहरी गैस वितरण परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। फरवरी 2019 में दसवें चरण में 50 दूसरे भौगोलिक क्षेत्रों के 124 जिलों में गैस वितरण के लिए बोलियां आमंत्रित की गई थीं जिसमें काफी रुचि देखी गई। अकेले इसी चरण की बोली से करीब 50,000 करोड़ रुपये का निवेश आने की संभावना है।

कुल मिलाकर 1.5-2 लाख करोड़ रुपये का निवेश अगले दशक में शहरी गैस वितरण में होने की संभावना है। इसमें बड़ा हिस्सा पाने के लिए 40 से अधिक निजी एवं सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के बीच होड़ लगी रहेगी।

शहरी गैस वितरण की गतिविधियां दमन एवं दीव, भुवनेश्वर, दादरा एवं नागर हवेली, कच्छ, अमरोली, दाहोद, दहेज-वागरा और जालंधर शहरों में शुरू हो चुकी हैं। नए भौगोलिक क्षेत्रों में भी नई परियोजनाओं को अनुमति दी जा चुकी है।

सीजीडी संबंधी जिन वादों को पूरा करना है उनमें क्रियान्वयन सबसे अहम है। केंद्र एवं राज्य सरकारों, शहरी निकायों, नियामक और निजी क्षेत्र के हितधारकों के बीच समन्वय होना निहायत ही जरूरी है। नया जोश भरने के बाद भी चिंताएं बदस्तूर कायम हैं। इनका ताल्लुक मदर पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने से जुड़ी चुनौतियों, भारी पूंजी की जरूरत, दूरदराज तक गैस पहुंचाने में आने वाली ऊंची लागत और ग्राहक के स्तर पर लागत-प्रभावी एवं टिकाऊ प्रबंधन ढांचों का विकास करने से है। पहाड़ी इलाकों और पूर्वोत्तर राज्यों में बसी शहरी आबादी तक गैस वितरण पर खास ध्यान देने की जरूरत होगी।

देश में एक विशालकाय शहरी गैस वितरण नेटवर्क स्थापित करने का अर्थव्यवस्था पर कुछ उसी तरह का असर होगा जैसा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हुआ था। इससे भारत में जीवन जीने का तरीका भी पूरी तरह बदल जाएगा, जैसे बिजली एवं पानी आपूर्ति ने किया है।

(लेखक ढांचागत सेवा फर्म फीडबैक इन्फ्रा के प्रमुख हैं)

अधिकरणों में सदस्यों के पद खाली रहने से क्षमता पर असर

अदालती आईना

एम जे एंटनी

सच तो यह है कि इतने अधिकरण बनने के बाद भी नियमित अदालतों का बोझ कम नहीं हो पाया है जबकि इनके गठन का असली मकसद ही यह रहा है।

पिछले दशक में नियामकीय संस्थाओं एवं न्यायाधिकरणों का प्रसार देखने को मिला। जब भी कोई घोटाला हुआ तो उस क्षेत्र से संबंधित नियामक या अधिकरण बनाया गया। बाद में, नीति-निर्माताओं को यह लगा कि अधिकरण बनाने की प्रवृत्ति बहुत आगे जा चुकी है और उनमें कटौती की जानी चाहिए। सच तो यह है कि इतने अधिकरण बनने के बाद भी नियमित अदालतों का बोझ कम नहीं हो पाया है जबकि इनके गठन का असली मकसद ही यह रहा है। इससे भी अहम बात यह है कि समुचित ढांचे के अभाव, फंड की भारी कमी और न्यायिक एवं तकनीकी सदस्यों के पद रिक्त होने से इनमें से अधिकांश अधिकरण निष्क्रिय हो चुके हैं।

न्यायाधीश इस संकट के बारे में कई मंचों से अपनी बात रख चुके हैं। तीन बड़े फैसलों में इस बात का लिखित तौर पर भी जिक्र किया गया है। इस महीने की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के पीठ ने ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) में किए गए संशोधन को सही ठहराते हुए इस मसले का भी उल्लेख किया था। पॉयनियर अर्बन लैंड बनाम भारत संघ मामले में पीठ ने कहा कि कुछ जिद्दी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने न तो रियल एस्टेट नियामकीय प्राधिकरण (रेरा) का गठन किया है और न ही उसमें अधिकारियों की नियुक्ति की है। न्यायालय ने इन राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों को तीन महीनों में इस काम को पूरा कर अनुपालना रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है। केंद्र सरकार को भी इस बारे में अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। पीठ ने कहा, 'बेहद जरूरी है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील पंचाट (एनसीएलएटी) में पर्याप्त लोग मौजूद हों जो आईबीसी के चलते आने वाले मामलों का निपटारा कर सकें।'

जहां ये अधिकरण अपेक्षाकृत नए हैं वहीं पुराने अधिकरणों की हालत तो और भी खस्ता है। दिल्ली उच्च न्यायालय के दो हालिया फैसलों से यह साबित भी होता है। एक फैसला बौद्धिक संपदा अधिकार और दूसरा फैसला प्रतिस्पर्द्धा कानून से संबंधित है। मिलेन लैब बनाम भारत संघ वाद में यह शिकायत थी कि एक डिजाइन को लेकर दायर कंपनी के स्थगन आवेदन की मंजूरी नहीं दी जा सकती है क्योंकि बौद्धिक संपदा अपील पंचाट (आईपीएबी) में तकनीकी सदस्य ही मौजूद नहीं है। न्यायालय ने बौद्धिक संपदा अधिकार कानून के तहत गठित विभिन्न अधिकरणों की स्थिति के बारे में भी जानकारी मांगी थी।

इस रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2003 में गठित आईपीएबी पेटेंट अधिनियम, कॉपीराइट अधिनियम और पादप किस्म संरक्षण अधिनियम के तहत दायर अपीलों की सुनवाई करता है। लेकिन इस निकाय में अभी तक किसी भी तकनीकी सदस्य (कॉपीराइट) की नियुक्ति नहीं की गई है। पेटेंट संबंधी मामलों में भी तकनीकी सदस्य का पद मई 2016 से खाली पड़ा हुआ है। ट्रेडमार्क के मामले में तकनीकी सदस्य की दिसंबर 2018 से नियुक्ति नहीं की गई है। वहीं पादप किस्म संरक्षण से संबंधित तकनीकी सदस्य भी एक ही है।

आईपीएबी ने भौगोलिक संकेतक (जीआई) संबंधी अपीलें भी 2009 से सुननी शुरू कर दी थीं लेकिन आज तक केवल 12 अपीलों का ही निस्तारण हो पाया है। इसका कारण यह है कि ट्रेडमार्क का तकनीकी सदस्य ही जीआई मामलों में तकनीकी सदस्य के तौर पर काम करता है। यह प्रणाली भी अधिकांश बौद्धिक संपदा मामलों में ठीक से काम नहीं करती है क्योंकि या तो चेयरमैन का पद खाली होता है या तकनीकी सदस्य की नियुक्ति ही नहीं हुई रहती है। लिहाजा बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी सभी अपीलों में अड़चन बनी रहती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय का एक और फैसला भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) के हालात को उजागर करता है। कैड सिस्टम्स बनाम सीसीआई मामले में कंपनी पर जीपीएस का इस्तेमाल करते हुए पुणे में पेड़ों की गिनती करने के एक ठेके में गिरोहबाजी का आरोप लगा था। जब सीसीआई ने इसके खिलाफ आदेश पारित कर दिया तो कंपनी इस आधार पर उच्च न्यायालय चली गई कि सीसीआई में कोई न्यायिक सदस्य नहीं होने से यह इस मामले का निपटारा करने के लायक ही नहीं है। हालांकि न्यायालय ने इस अपील को खारिज करते हुए कहा कि सीसीआई न्यायिक सदस्य की गैरमौजूदगी (धारा 15) में भी काम कर सकता है। यह रुख निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों के उलट है जो न्यायिक सदस्य की मौजूदगी को अनिवार्य बताता है। हालांकि अदालत ने इस चुनौती को निरस्त करते हुए कहा सीसीआई को निर्णय देने से रोकने का असर यही होगा कि यह निकाय ठप हो जाएगा। यह तदर्थवाद कारोबारी सुगमता के लिए प्रयासरत किसी भी कंपनी को पीछे कर देगा।

देश के हरेक जिले में गठित उपभोक्ता फोरम जैसे अन्य अर्द्ध-न्यायिक निकाय भी हैं लेकिन उनका कोरम कभी भी पूरा नहीं हो पाता है। मसलन, दक्षिण दिल्ली के उपभोक्ता फोरम में करीब दो साल से कोई अध्यक्ष नहीं होने से अंतिम सुनवाई नहीं हो पा रही है। एक महिला सदस्य अगली सुनवाई की तारीख दे देती है जो अमूमन चार महीने बाद की होती है। ऐसे हालात न केवल बड़ी कंपनियों के कामकाज बल्कि निजी उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करते हैं।

कानाफूसी

गहमागहमी की वापसी

सोनिया गांधी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाले जाने के बाद एक उल्लेखनीय बदलाव यह है कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का दखल बढ़ गया है। अब वह 24 अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय के कामकाज में पहले से अधिक सक्रिय हो गई हैं। वर्ष 2014 के बाद से कांग्रेस मुख्यालय में एक तरह की वीरानी देखने को मिलती रही है। अक्सर पार्टी की अहम बैठकें गुरुद्वारा रकाब गंज मार्ग स्थित बंगले के वॉर रूम में आयोजित की जाती रही हैं। अब सोनिया गांधी और प्रियंका ने पार्टी नेतृत्व से कहा है कि वे अपनी बैठक अकबर रोड स्थित मुख्यालय में आयोजित करें। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भी पार्टी ने समारोह का आयोजन वहीं किया। इसके चलते पार्टी मुख्यालय काफी गुलजार रहा। आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनके लिए टिकट वितरण का काम भी वहीं हो सकता है। परंतु जल्दी ही कांग्रेस मुख्यालय को नए गुजरात भवन से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। गुजरात भवन उसके ठीक सामने स्थित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी ही उसका उद्घाटन कर सकते हैं।

आपका पक्ष

5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था पर काम

भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उससे शेयर बाजार को निराशा हाथ लगी और निवेशकों को लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान झेलना पड़ा। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच शुरू हुए व्यापार युद्ध भी बाजार में गिरावट का मुख्य कारण बना। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध के चल रहे खेल में जीत किसकी होगी यह फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन एक बात तो तय है कि खुदरा निवेशकों को नुकसान हुआ है। भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल में बतौर रक्षा मंत्री सीतारमण का कार्यकाल शानदार रहा। उनकी कार्यशैली को काफी सराहा गया। शायद इसी विश्वास के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा। मंत्रालय तो बदला लेकिन विचार पद्धति बदलने में उन्हें शायद देर हो गई और इसका खमियाजा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कई घोषणाएं की *-पीटीआई*

निवेशकों को उठाना पड़ा। प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कुछ राहत भरे कदम की घोषणा की। एफपीआई पर बढ़ाया गया अधिभार वापस लिया गया। घरेलू निवेशकों को एलटीसीजी और एसटीसीजी पर राहत दी गई। बैंकिंग, एनबीएफसी और वाहन क्षेत्र को भी राहत देने की कोशिश की गई। हालांकि इससे कुछ सुधार होने की उम्मीद है लेकिन लंबे समय में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वित्त मंत्री के इस फैसले से अर्थव्यवस्था ने राहत की सांस ली है। लेकिन क्या इससे घरेलू खपत को बढ़ावा मिलेगा। घरेलू खपत को बढ़ाने में रोजगार की सबसे अहम भूमिका होती है। लेकिन रोजगार के मोर्चे पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एक बात साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 तक भारत को 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसे अमली जामा पहनाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय किसी भी मंत्रालय के कामकाज और नीतिगत फैसलों में दखल देने से नहीं हिचकेगा।

राजीव सिंह, हैदराबाद

आपदा से बचाव के लिए सजगता जरूरी

केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें बाढ़ की विभीषिका को कम से कम करने के लिए योजना काल से ही प्रयत्नशील हैं। वर्षा के पानी को जलग्रहण क्षेत्रों में ही जगह-जगह चेकडैम, जलाशयों का निर्माण करके बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में ऐसा कर लिया गया है, वहां बाढ़ की विभीषिका कम हुई है। इसके अलावा हम पेड़ों की लगातार हो रही कटाई पर नियंत्रण करके बाढ़ से राहत पा सकते हैं। नदियों के बांधों पर अधिक से अधिक पौधरोपण से भी कटान को कम कर सकते हैं। नदियों के किनारे बसे हुए कस्बों एवं शहरों में विस्तार व विकास करते समय पानी की उचित निकासी की ओर ध्यान देना होगा। गंदे नालों की सफाई समय से कराई जाए। नदियों के पानी को शहर में प्रवेश न करने देने के लिए तटबंध बनाने चाहिए। नदियों तथा नालों पर जगह-जगह पर चेकडैम बनाकर जलाशयों का निर्माण कर वर्षा के पानी को नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में ही रोका जा सकता है।

संजय कुमार, गोरखपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।